न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 09 /2021

महेन्द्र पुत्र श्री नेमीचन्द जाति रेगर निवासी चक 5 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

अपीलांट

बनाम

1. लालचन्द पुत्र प्रभुदयाल
2. महेशप्रकाश पुत्र प्रभुदयाल
3. तिलोकचन्द पुत्र प्रभुदयाल
4. पुरूषोत्तमदास पुत्र प्रभुदयाल
5. मालचन्द पुत्र प्रभुदयाल
6. चुनीलाल पुत्र प्रभुदयाल
7. जगपालसिंह पुत्र प्रभुदयाल
8. बजरंगलाल पुत्र प्रभुदयाल
9. लक्ष्मीदेवी पुत्री प्रभुदयाल
10. जसोदादेवी पुत्री प्रभुदयाल
11. उषा देवी पुत्री प्रभुदयाल

(1–11) जाति रेगर निवासीगण शिवबाड़ी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

12. हरिमोहन पुत्र नेमीचन्द
13. शकुन्तला पुत्री नेमीचन्द

(12–13) जाति रेगर निवासीगण शिवबाड़ी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

14. ग्रांम पंचायत 8 के.वाई.डी. जरिये सरपंच प.स. खाजूवाला।
15. ग्रांम पंचायत 17 के.वाई.डी. जरिये सरपंच प.स. खाजूवाला।
16. राज. राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... रेस्पोडेंट

वादपत्र अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ए.

–: निर्णय :– दिनांक :–

अपील का ब्यौरा इस प्रकार से है कि विवादित आराजी चक 10 केवाईडी (ए) के मुरब्बा नंबर 156/46 के किला नंबर 17 से 25 की 9 बीघा भूमि, मुरब्बा नंबर 137/49 के किला नंबर 16 से 25 की 10 बीघा भूमि और चक 11 केवाईडी (ए) के मुरब्बा नंबर 156/18 के किला नंबर 6 ,7 ,14 से 17 और 25 की 6.18 बीघा भूमि इस प्रकार 3 चक्रों में कुल 25.18 बीघा भूमि अपीलेट महेंद्र के दादा प्रभु दयाल के नाम दर्ज थी। उसकी मृत्यु के पश्चात [illegible] नाम पंचायत 8 केवाईडी के इंतकाल संख्या 54 दिनांक 15 जनवरी 2001 [illegible] पंचायत 17 केवाईडी के इंतकाल संख्या 90 दिनांक 22 फरवरी 2001 के जरिए [illegible] वारिसान के नाम दर्ज हो गई। प्रार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है कि यह [illegible] प्रभु दयाल ने 14 जून 2000 को उसके नाम वसीयत कर दी थी इसलिए इंतकाल संख्या 54 व 90 को निरस्त कर जमीन उसके नाम दर्ज की जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:44:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है यह प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त किए जाने लायक है क्योंकि इसमें cause of action reveal नहीं हो रहा है न्यायालय के फैसले के पीछे निम्न आधार है–

वादी द्वारा प्रस्तुत की गई वसीयत सन 2000 में लिखी गई है। वादी इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि पिछले 20 सालों में उन्होंने यह वसीयत एग्जीक्यूट क्यों नहीं करवाई। वादी ने खुद दावे में लिखा है कि पिछले 20 वर्षों से वह इस जमीन को जोत रहा है ऐसे में यह संभव नहीं है कि उसे पता ही ना हो कि उस के पक्ष में ऐसी वसीयत लिखी गई है।

यह वसीयत पंजीकृत नहीं है, सादे कागज पर लिखी गई है इसलिए इसकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध है। इसके अलावा वीरा सिंह पुत्र छैला सिंह, जिसने इस वसीयत पर गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किया है उसकी गवाही को स्वतंत्र गवाही नहीं माना जा सकता क्योंकि वसीयत में ही लिखा है कि उसने वसीयत कर्ता यानि कि प्रभु दयाल ने वीरा सिंह से ₹300000 उधार लिए हैं जिसको चुकाने की जिम्मेदारी महेंद्र ,यानि कि जिस के पक्ष में वसीयत की गई है, की होगी. इसके मायने हैं कि गवाह वीरा सिंह का इस वसीयत में हित निहित है।

इसलिए न्यायालय द्वारा इस अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:44:02 IST
Reason: SelfAttested